न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0: 15/2018

उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा, तहसील भादरा ।

— वादी

बनाम

1. मधु सर्राफ पत्नी विजय कुमार जाति महाजन साकिन भादरा।

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 177 आरटीए. 1955
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थित : वकील वादीः राज पैरोकार
वकील प्रतिवादियाः श्री दलीप सिंह झोरड़

निर्णय

दिनांक : 27.9.18

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 10 बारानी के खाता संख्या 15/14 के मु.न. 34 के किला नं. 16/1 की 0.158 हैक्टर, किला नं. 24/1 की 0.126 हैक्टर, किला नं. 25 की 0.253 हैक्टर, मु.न. 52 के किला नं. 4 की 0.127 हैक्टर, किला नं. 5 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 6/1 की 0.063 हैक्टर कुल 0.980 हैक्टर बारानी मय रास्ता वर्तमान में प्रतिवादिया मधु के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है एव प्रतिवादिया द्वारा कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये अकृषि प्रयाजनार्थ स्कूल भवन का निमार्ण करवाया जा रहा है। इस प्रकार कृषि जोत के स्वरूप का परिवर्तन किया जा रहा है। अतः भूमि काबिले सिवाय चक रकबा राज घोषित किया जाना चाहिए।

मु.न. 15/14 व 52 की कुल 0.980 हैक्टर खातेदारी भूमि में हो रहे गैर कृषिक कार्यो के लिए खातेदार दण्ड के भागीदार है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यों में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लघंन किया है।

कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निमार्ण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नही। प्रतिवादिया द्वारा मु.न. 15/14 व 52 की कुल 0.980 हैक्टर की भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

विवादित कृषि भूमि को खातेदारों द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि को अकृषि कार्य मं उपयोग कर रहा है। प्रतिवादीगण सदभावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आते है।

वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादिया के विरूद्ध कार्यवाही कर उक्त भूमि सिवाय चक भूमि घोषित की जावे ताकि अन्य खातेदार भी इस प्रकार का कृत्य न कर सके व कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ लेने पर रोक लग सके।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादिया की तलबी की गई प्रतिवादिया अधिवक्ता उपस्थित आये व प्रतिवादिया की और से जवाब दावा पेश किया गया, तथा एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया व निवेदन किया कि उपर वर्णित खातेदारी कृषि भूमि से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन करवाने हेतु एक पत्रावली नगरपालिका भादरा में जरिऐ रसीद संख्या 76 दिनांक 22.12.2017 राशि 12040/- रूपये नियमानुसार जमा करवाई हुई है जिस पर नगरपालिका भादरा द्वारा एक आपति सूचना अखबार में प्रकाशित करवाई एव हस्तगत प्रकरण में वर्णित भूमि नगरपालिका भादरा के पैराफेरी क्षेत्र के अधिन है ऐसी सुरत में भूमि परिवर्तन एवं निर्माण ईजाजत तामिर के लिए अधिकारी क्षेत्र नगरपालिका भादरा को है। प्रतिवादिया द्वारा अपनी उक्त खातेदारी को नगरपालिका भादरा के पक्ष में सरेन्डर किया जा चुका है एव उक्त भूमि का इन्तकाल भी राजस्व रिकार्ड में नगरपालिका भादरा के नाम दर्ज हो चुका है। इन्तकाल नकल एव चालू जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। वादी को प्रतिवादिया के खिलाफ कोई वाद कारण हासिल नही होने के कारण दावा वादी इसी स्टेज पर रिजेक्ट फरमाया जावे

पैरोकार राज वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रतिवादिया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया तथा कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टी संख्या 883 कार्यालय तहसीलदार भादरा के आदेश क्रमांक 504 दिनांक 06.07.2018 की पालना में संपरिवर्तन हेतु नगरपालिका भादरा के नाम दिनांक 16.07.2018 को दर्ज हो चुका है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

हमने बहस उभय पक्षकारान का सम्मान पूर्वक अध्ययन किया। प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 10 बारानी के खाता संख्या 15/14 के मु.न. 34 के किला नं. 16/1 की 0.158 हैक्टर, किला नं. 24/1 की 0.126 हैक्टर, किला नं. 25 की 0.253 हैक्टर, मु.न. 52 के किला नं. 4 की 0.127 हैक्टर, किला नं. 5 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 6/1 की 0.063 हैक्टर कुल 0.980 हैक्टर बारानी मय रास्ता वर्तमान में प्रतिवादिया मधु के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है एव प्रतिवादिया द्वारा कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये अकृषि प्रयाजनार्थ स्कूल भवन का निमार्ण करवाया जा रहा है, इस प्रकार कृषि जोत के स्वरूप का परिवर्तन किया जा रहा है। अतः भूमि काबिले सिवाय चक रकबा राज घोषित किया जाना चाहिए। परन्तु उक्त वादभूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादिया के नाम दर्ज ही नही है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी भादरा
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

एवं प्रतिवादिया द्वारा भूमि रूपान्तरण शुल्क भी नियमानुसार नगरपालिका भादरा में जमा करवा दिया है ऐसी सुरत में वाद वादी का काई औचित्य नही रहा है एवं वादभूमि पैराफेरी क्षेत्र के अधिन होने के कारण उक्त वादभूमि में परिवर्तन एवं निर्माण ईजाजत तामिर के लिए अधिकार क्षेत्र नगरपालिका भादरा के पास है। तथा वाद वादी के जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित है कि वादभूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टी संख्या 883 कार्यालय तहसीलदार भादरा के आदेश क्रमांक 504 दिनांक 06.07.2018 की पालना में संपरिवर्तन हेतु नगरपालिका भादरा के नाम दिनांक 16.07.2018 को दर्ज हो चुका है। वादभूमि के कुल रकबा 0.980 हैक्टर में से 0.638 हैक्टर रकबा गैर. मु. शैक्षणिक प्रयोजनार्थ नगरपालिका भादरा के नाम इंतकाल खोला जा चुका है व 0. 537 हैक्टर गै.मु. शैक्षणिक व गै.मु. रास्ता के नाम जमाबंदी में इंतकाल किया जा चुका है। इंतकाल स्वीकृति पर स्वयं वादी के हस्ताक्षर है। वादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र पत्र के जवाब में भी प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नही किया गया है नही प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने की इस्तदुआ चाही गई है। हस्तगत प्रकरण में निम्न बिन्दु न्यायालय के समक्ष है (1) वादभूमि का स्वरूप कृषि से बदल कर गैर.मु. शैक्षणिक हो गया है जिसके लिए प्रतिवादी द्वारा वादभूमि संपरिवर्तन करवाया गया है। वादभूमि का स्वरूप रिकार्ड में कृषि से अकृषि होने के कारण उस पर राज. काश्तकारी अधिनिमय के प्रावधान लागू नही होते है। (2) वादपत्र का मुख्य वाद कारण कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन करवाए अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करना था जो कि वादभूमि के संपरिवर्तन करवाए जाने पर समाप्त हो गया है।

वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र में काई उल्लेख नही किया है कि वाद में कोई वाद कारण शेष है जिस पर वह वाद को चलाना चाहता हो। वाद कारण के अभाव वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन व निष्कर्ष के आधार पर वकील प्रतिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता साबित होने के कारण स्वीकार कर वाद वादी अन्तर्गत धारा 177 आरटीए. 1955 का इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.9.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़